

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
कमला व अन्य बनाम जीवण व अन्य
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 42/2020
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

तारीख हुक्म

06.05..2022

वादीगण/प्रार्थीगण के द्वारा मूल वाद को विधिक त्रुटि हो जाने के कारण वाद को विद्धो किया गया है। चूंकि मूल वाद विद्धो हो जाने से यह प्रार्थना पत्र सारहीन हो गया है। प्रार्थना पत्र सारहीन हो जाने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0)
अजमेर